प्रेस विज्ञप्ति

18/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने 17.11.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों की 2.13 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय (पीओसी) से जुड़े कई साइबर अपराध धोखाधड़ी मामलों की जाँच के सिलसिले में की जा रही है।

सूरत पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा की गई जाँच के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जाँच शुरू की। इस मामले में, मकबूल डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबूल डॉक्टर और बासम मकबूल डॉक्टर और उनके अन्य साथियों ने डिजिटल गिरफ्तारी, विदेशी मुद्रा व्यापार, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रवर्तन निदेशालय आदि जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाने जैसे विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से भोले-भाले लोगों को ठगा है।

पीओसी के शोधन की अपनी कार्यप्रणाली के एक हिस्से के रूप में, उन्होंने पीओसी के संग्रह और संचय के लिए अपने कर्मचारियों/सहयोगियों/किराए के व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खोले/व्यवस्थित किए हैं। इसके अलावा, उक्त बैंक खातों के संचालन के लिए, अभियुक्तों ने इसी कार्यप्रणाली का उपयोग करके पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड प्राप्त किए हैं।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह भी पाया गया कि मकबूल डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर और अन्य ने आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न पीओसी को क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके उसे विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भेजकर नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए धन शोधन किया है। इससे पहले, ईडी की जांच के दौरान, चार आरोपियों मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।